निर्णय वइजलास सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–27/2022
दायरा दिनांक :–24.03.2022
निर्णय दिनांक :– 10.6.24

उनवान

रामस्वरूप पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मानपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
–प्रार्थी

बनाम

1. बबूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मानपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
2. सत्यनारायण पुत्र श्री जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी मानपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां।

–अप्रार्थी

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 48, 49 एवं 50 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 10.6.24

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री संदीप चौबे एड0– वादी
1. सुमित मीणा एड0– प्रतिवादी

प्रार्थी के खाते की आराजीयात खाता सं0 नया 165 व पुराना 160 खसरा नं0 351/21 रकबा 0.20 बरानी–2 हे0, खसरा नं0 368/91 रकबा 0.54 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 हे0 वाके माल मानपुरा पटवार हल्का तिसाया तहसील व जिला बारां व प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 के शामलाती खाते की खाता सं0 नया 62 व पुराना 65 आराजियात खसरा नं0 40 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 41 रकबा 1.35 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 हे0 वाके माल तेजगढ पटवार हल्का कोटडी सुण्डा तहसील व जिला बारां में अवस्थित है, इसी प्रकार अप्रार्थी कम 2 के खाते की आराजियात खाता सं0 नया 180 व पुराना 177 खसरा नं0 376 रकबा 0.40 हे0 बरानी –2, खसरा नं0 93 रकबा 0.58 हे0 माल–2, कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हे0 वाके माल मानपुरा पटवार हल्का तिसाया तहसील व जिला बारां राज0 अवस्थित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नं0 368/91 रकबा 0.54 हे0 वाके माल मानपुरा पटवार हल्का तिसाया तहसील व जिला बारां में अवस्थित है। पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त व स्वामित्व नहीं है। मात्र खाते में दर्ज है। प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त आराजी खसरा नं0 351/21 रकबा 0.20 बरानी –2 हे0, वाके माल मानपुरा पटवार हल्का तिसाया तहसील व जिला बारां अप्रार्थी कम 1 पास खसरा नं0 93 रकबा 0.58 हे0 माल–2, वाके माल मानपुरा पटवार हल्का तिसाया तहसील व जिला बारां राज0 पर वर्ष 2011 से पूर्व ही काबिज काश्त स्वामित्व में चली आ रही है। इसी प्रकार अप्रार्थी कम सं0 1 के शामलाती खाते की खाता सं0 नया 62 व पुराना 65 आराजीयात खसरा नं0 40 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 41 रकबा 1.35 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 हे0 1/2 हिस्से का वाके माल तेजगढ पटवार हल्का कोटडी सुण्डा तहसील व जिला बारां में अवस्थित है, पर अप्रार्थीगण कम 2 का वर्ष 2011 से पूर्व से ही काबिज काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है। शेष 1/2 हिस्सा प्रार्थी रामस्वरूप के नाम यथावत रहेगा।

इस तरह आराजी खसरा नं0 368/91 रकबा 0.54 हे0 माल –2, माल मानपुरा पटवार हल्का तिसाया तहसील व जिला बारां का वर्तमान खातेदार प्रार्थी है, उसका नाम खाते से हटाकर अप्रार्थी कम 1 बाबूलाल को बतौर खातेदार जमाबन्दी में नाम अंकन किया जावें व आराजी खसरा नं0 40 रकबा 0.13 हे0, व खसरा नं0 41 रकबा 1.35 हे0 का 1/2 हिस्से से अप्रार्थी कम 1 का खाते से नाम हटाकर अप्रार्थी कम 2 के खाते की जमाबन्दी के नाम बतौर खातेदार कृषक अंकन किया जावें। इसी प्रकार अप्रार्थी कम 2 के खाते के आराजी खसरा नं0 93 रकबा 0.58 हे0 से जमाबन्दी से नाम हटाकर अप्रार्थी कम 1 के खाते की जमाबन्दी में बतौर खातेदार कृषक नाम अंकित किया जाना न्यायोचित है। तीनों पक्षकारान का जमाबन्दी में कब्जे, काश्त एवं स्वामित्व के अनुसार खातों में नाम अंकन किया जाना न्याायोचित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 2 का नाम जातबन्दीयों में एक्सेंज किया जाना विधि सम्मत है।

उक्त त्रुटि सहवन से खातों में दर्ज हो गयी है। उक्त त्रुटि को दुरस्त हेतु सम्बधित राजस्व कर्मचारियों को मौखिक व लिखित में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन त्रुटि को दुरस्त नहीं किया गया है। प्रार्थी के खाते में व अप्रार्थीगण कम 1 ता 2 के कब्जे काश्त अनुसार खसरा नं0 अदल–बदल कर बतौर खातेदार कृषक जमाबन्दी में अंकन करवाये जाने के अधिकारी व निलाशी है।

प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 2 द्वारा खाते में अदल–बदल करने के लिए पूर्व में गत वर्षों के दौरान शिविर प्रभारी महोदय ग्राम तिसाया जिला बारां को भी अवगत करवा दिया गया है। लेकिन कार्यवाही अमल में नहीं लाने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 2 के खातों में नाम खातेदार एक्सचेंज नहीं किये जा सकने के कारण माननीय न्यायालय में वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
वारॉं

Scanned with CamScanner

पेश किया जा रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहमत है। प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 दोनों सगे भाई व अप्रार्थी कम 2 भतीजा है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगणों को खाते में खसरा नं0 में अदला–बदली नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थी व अप्रार्थीगणों को खाती करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगणों को कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बरान का कब्जे काश्त अनुसार खाते में अंकन किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। जिससे दोनों खातेदारान को अनावश्यक विवादों में उलझने से बचाया जा सकें। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में भी लेख्य पत्र दिनांक 27.05.2011 के माध्यम से ही खेती करते हुए चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 व 2 लेख्य पत्र के आधार पर ही खेती करते चले आ रहे है। मुताबिक लेख्य पत्र खातों में खसरा नम्बरान का एक्सचेन्ज किया जाना न्यायोचित है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम तेजगढ सम्वत् 2072–75 खाता सं0 62, नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 180, नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 165 पेश की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया कि, प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। काबिज काश्त के अनुसार अप्रार्थीगण कम 1 को आराजीयात खसरा नं0 368/91 रकबा 0.54 हे0 ग्राम मानपुरा पटवार हल्का तिसाया जिला बारां का नाम जमाबन्दी में अंकन किया जावे व आराजी खसरा नं0 93 रकबा 0.58 हे0 भी अप्रार्थी कम 1 का नाम भी जमाबन्दी में अंकित किया जावे। साथ ही अप्रार्थी कम 2 का आराजी खसरा नं0 40 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 41 रकबा 1.35 हे0 ग्राम तेजगढ पटवार हल्का कोटडी सूण्डा के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी कम 2 का नाम जमाबन्दी में अंकन किया जावे। इससे प्रार्थी/अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम तेजगढ सम्वत् 2072–75 खाता सं0 62 में बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/2, रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 180 सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2073–76 खाता सं0 165

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी रामस्वरूप के हिस्से में 1.58 हे0 भूमि, बाबूलाल के हिस्से में 0.74 हे0 भूमि तथा सत्यनारायण के हिस्से में 0.98 हे0 भूमि दर्ज रिकार्ड है मुताबिक राजीनामा वादी को 0.94 हे0 एवं बाबूलाल को 1.12 हे0 तथा सत्यनारायण को 1.14 हे0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित करा कर भूमि दर्ज करवाना चाहते है जबकि वादी द्वारा धारा 48, 49 एवं 50 आर0टी0एक्ट का दावा पेश किया है। वादी के हिस्से में 1.58 हे0 में से मात्र 0.94 हे0 भूमि शेष रहती है। बाबूलाल के खाते में 0.74 भूमि के बदले 1.12 हे0 भूमि तथा सत्यनारायण को 0.98 हे0 के स्थान पर 1.14 हे0 भूमि दी जा रही है। जिससे राज्य सरकार की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हो रहा है। वादी द्वारा जिस धाराओं के तहत वाद पत्र पेश किया है। उसमें राजीनामा नहीं किया गया है। भूमि विनिमय के बाद पत्र में जितनी भूमि प्रतिवादी को दी जा रही है। उतनी भूमि वादी को देनी होती है। तभी विनिमय माना जाता है। यह इस वाद पत्र में वादी से भूमि ली जा रही है। इसलिए यह वाद पत्र विनिमय का नहीं है। खातेदारी की घोषणा का वाद पत्र है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद एवं प्रस्तुत राजीनामा चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पूजा मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

या: 27/2022	धारा अन्तर्गत 48, 49 एवं 50 आर0टी0 एक्ट	निर्णय दिनांक : 10.6.24
: सूश्री पूजा मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
स्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री संदीप चौबे एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री सुमित मीणा एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

रामस्वरूप पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी मानपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री रामकुमार जाति गुर्जर निवासी मानपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
2. सत्यनारायण पुत्र श्री जगन्नाथ जाति निवासी मानपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां ।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि–

वादी का वाद एवं प्रस्तुत राजीनामा चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .....10.6.24..... को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:51:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner